संख्या : 204/8–3–09–26एल0यू0सी0/91

प्रेषक

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. **आवास आयुक्त ,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास
परिषद, लखनऊ।

2. **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प0।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनॉक : 21 जनवरी, 2010**

विषय :– महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–3712/9–आ–3–2000–26 एल0 यू0 सी0/91, दिनांक 21.08.01 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत कराना है कि उपर्युक्त शासनादेश में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार लिये जाने की व्यवस्था की गयी है,जबकि कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्राधिकरण/परिषद की योजनाओं में भूमि की दरें प्राधिकरण/परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं और इन्हीं दरों पर भूखण्डों का आवंटन किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट भूखण्डों के पुनः विक्रय पर देय स्टैम्प ड्यूटी हेतु ही प्रभावी है। ऐसी दशा में प्राधिकरण की योजनाओं में स्थित किसी भूखण्ड का भू–उपयोग परिवर्तन होने की दशा में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राधिकरण/परिषद द्वारा निर्धारित दरों पर ही लिया जाना चाहिए, न कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर पर।

3– अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश सं0–3712/9–आ–3–2000–26एल0यू0सी0/91, दिनांक 21.08.2001 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरण/परिषद के क्षेत्रान्तर्गत स्थित कालोनियों में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राधिकरण/परिषद द्वारा निर्धारित सेक्टर दरों पर लिया जाय। लेकिन यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय कि प्राधिकरण/परिषद अपने सेक्टर दरों को प्रतिवर्ष नियमित रूप से संशोधित

(Revise) करते रहेंगे। उक्त शासनादेश दिनांक–21.08.2001 की शेष व्यवस्थायें पूर्ववत लागू रहेंगी।

भवदीय,

ह0/–
अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
4 अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस शासनादेश को आवास विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करते हुए इसकी प्रतियाँ सर्वसम्बन्धितों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
ह0/–
राम निरंजन
अनु सचिव